



EXCESS DEMANDS OVER

Grants and Appropriations for the year

2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17,

2017-18 and 2018-19

**(As Presented to the Haryana Vidhan Sabha
by Order of Governor)**

PREFACE

Article 205 of the Constitution of India provides that the Governor shall, if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year, cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess.

“The Appropriation Accounts of the Government of Haryana” and the State Finance Report of the Comptroller and Auditor General of India for the Year 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 were laid before the Haryana Vidhan Sabha.

The Public Accounts Committee examined these Appropriation Accounts in the 76th, 80th, 81st and 82nd reports of the Public Accounts Committee, which were laid on the table of the House on 15 March 2018, 04 March 2020, 15 March 2021 and 22 March 2022 respectively.

In accordance with the recommendations of the Committee, the Excess Over Voted Grants/Appropriation for the year 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19 is presented before the State Legislature for regularization.

(Anurag Rastogi)
Additional Chief Secretary to Govt., Haryana
Finance Department

**SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND
APPROPRIATION FOR THE YEAR 2011-12**

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	Rs.
1	17-Employment	--	--	49,99,000/-	--	49,99,000/-
2	24-Irrigation	--	--	254,64,41,437/-	--	254,64,41,437/-
3	42-Administration of Justice	--	8,30,29,163/-	--	--	8,30,29,163/-
	Grand Total	--	8,30,29,163/-	255,14,40,437/-	--	263,44,69,600/-

**SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND
APPROPRIATION FOR THE YEAR 2012-13**

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	Rs.
7	6-Finance	126,52,84,230/-	--	--	--	126,52,84,230/-
8	21-Women and Child Development	--	--	4,17,26,000/-	--	4,17,26,000/-
9	24-Irrigation	--	--	275,22,73,407/-	9,23,68,859/-	284,46,42,266/-
10	38-Public Health and Water Supply	12,93,67,512/-	--	--	--	12,93,67,512/-
	Grand Total	139,46,51,742/-	--	279,39,99,407/-	9,23,68,859/-	428,10,20,008/-

**SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND
APPROPRIATION FOR THE YEAR 2013-14**

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total Rs.
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	
13	6-Finance	110,37,81,539/-	--	--	--	110,37,81,539/-
14	24-Irrigation	--	--	213,26,30,784/-	6,03,38,570/-	219,29,69,354/-
	Grand Total	110,37,81,539/-	--	213,26,30,784/-	6,03,38,570/-	329,67,50,893/-

**SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND
APPROPRIATION FOR THE YEAR 2014-15**

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total Rs.
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	
17	24-Irrigation	--	--	402,89,46,351/-	2,19,37,661/-	405,08,84,012/-
18	42-Administration of Justice	--	1,15,63,420/-	--	--	1,15,63,420/-
19	44-Printing & Stationery	--	11,07,935/-	--	--	11,07,935/-
	Grand Total	--	1,26,71,355/-	402,89,46,351/-	2,19,37,661/-	406,35,55,367/-

**SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND
APPROPRIATION FOR THE YEAR 2015-16**

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total Rs.
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	
23	4-Revenue	1199,24,88,219/-	--	--	--	1199,24,88,219/-
24	24-Irrigation	--	--	210,99,94,493/-	--	210,99,94,493/-
25	32-Rural & Community Development	--	1,01,75,214/-	--	--	1,01,75,214/-
26	42-Administration of Justice	--	2,97,25,891/-	--	--	2,97,25,891/-
	Grand Total	1199,24,88,219/-	3,99,01,105/-	210,99,94,493/-	--	1414,23,83,817/-

**SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND
APPROPRIATION FOR THE YEAR 2016-17**

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	Rs.
29	6-Finance	--	71,27,08,926/-	--	--	71,27,08,926/-
30	08-Building & Roads	--	--	--	1,98,16,000/-	1,98,16,000/-
31	14-Urban Development	--	--	91,73,870/-	--	91,73,870/-
32	24-Irrigation	--	--	176,99,17,561/-	5,81,91,333/-	182,81,08,894/-
	Grand Total	--	71,27,08,926/-	177,90,91,431/-	7,80,07,333/-	256,98,07,690/-

**SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND
APPROPRIATION FOR THE YEAR 2017-18**

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	Rs.
35	6-Finance	375,59,93,011/-	73,87,65,227/-	--	--	449,47,58,238/-
36	24-Irrigation	--	--	91,12,11,135/-	--	91,12,11,135/-
	Grand Total	375,59,93,011/-	73,87,65,227/-	91,12,11,135/-	--	540,59,69,373/-

**SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND
APPROPRIATION FOR THE YEAR 2018-19**

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	Rs.
39	8-Building & Roads	--	--	--	18,36,61,000/-	18,36,61,000/-
40	24-Irrigation	--	--	--	10,21,27,670/-	10,21,27,670/-
41	42-Administration of Justice	--	12,95,96,001/-	--	--	12,95,96,001/-
	Grand Total	--	12,95,96,001/-	--	28,57,88,670/-	41,53,84,671/-

EXCESS DEMAND OVER
Grants and Appropriations for the year
2011-12

Demand No. 17 - Employment
Voted: Rs. 49,99,000/-
Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
17- Employment	1,000	50,00,000	4250-Capital Outlay on Other social Services	49,99,000	-

Against the Grants/Appropriation of Rs. 1,000/- an expenditure of Rs. 50,00,000/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2011-12 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 49,99,000/- under the Demand No. 17- Employment on Capital 'Voted' side.

2. An excess expenditure was mainly due to expenditure on account of the payment made to HUDA for the plot allotted for the construction of Rozgar Bhawan at Panchkula.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 49,99,000/- as shown in accounts.

Demand No. 24 - Irrigation

Voted: Rs. 254,64,41,437/-

Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
24- Irrigation	568,50,00,000	823,14,41,437	4700-Capital Outlay on Major Irrigation 4701- Capital Outlay on Medium Irrigation 4711- Capital Outlay on Flood Control Projects	254,64,41,437	-

Against the Grants/Appropriation of Rs. 568,50,00,000/- an expenditure of Rs. 823,14,41,437/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2011-12 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 254,64,41,437/- under the Demand No. 24- Irrigation on Capital 'Voted' side. An excess expenditure was mainly due to adjustment of pro-rata charges of establishment expenditure worked out by Accountant General, Haryana

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 254,64,41,437/- as shown in accounts.

Demand No. 42- Administration of Justice
Charged: Rs. 8,30,29,163/-
Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
42- Administration of Justice	42,63,31,000	50,93,60,163	2014- Administration of Justice	-	8,30,29,163

Against the Grants/Appropriation of Rs. 42,63,31,000/- an expenditure of Rs. 50,93,60,163/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2011-12 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 8,30,29,163/- under the Demand No. 42-Administration of Justice on Revenue 'Charged' side.

2. An excess expenditure is attributed to change in ratio of expenditure to be borne by the State of Haryana calculated on the basis of actual number of cases instituted during the year in Hon'ble Punjab & Haryana High Court.

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Charged' excess expenditure of Rs. 8,30,29,163/- as shown in accounts.

EXCESS DEMAND OVER
Grants and Appropriations for the year
2012-13

Demand No. 6- Finance
Voted: Rs. 126,52,84,230/-
Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
6- Finance	3551,81,98,000	3678,34,82,230	2049- Interest Payments 2071- Pensions & other Retirement Benefits	126,52,84,230	-

Against the Grants/Appropriation of Rs. 3551,81,98,000/- an expenditure of Rs. 3678,34,82,230/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2012-13 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 126,52,84,230/- under the Demand No. 6-Finance on Revenue 'Voted' side. An excess expenditure is attributed to meet the excess expenditure due to receipt of more pension cases/ commuted value of pension/gratuity/retrials benefits etc.

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Voted' excess expenditure of Rs. 126,52,84,230/- as shown in accounts.

Demand No. 21 – Women & Child Development

Voted: Rs. 4,17,26,000/-

Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
21- Women & Child Development	53,82,01,000	57,99,27,000	4235- Capital Outlay on Social Security & Welfare	4,17,26,000	-

Against the Grants/Appropriation of Rs. 53,82,01,000/- an expenditure of Rs. 57,99,27,000/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2012-13 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 4,17,26,000/- under the Demand No. 21- Women & Child Development on Capital 'Voted' side.

2. An excess expenditure was mainly due to more expenditure on account of increase in release of funds to Panchayati Raj Department for the construction and completion of incomplete Anganwari Centers.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 4,17,26,000/- as shown in accounts.

Demand No. 24 - Irrigation**Voted: Rs. 275,22,73,407/-****Charged: Rs. 9,23,68,859/-**

Grant No.	BUDGET ESTIMATES	ACTUALS	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
24-Irrigation	522,71,00,000	797,93,73,407	4700- Capital Outlay on Major Irrigation 4701- Capital Outlay on Medium Irrigation	275,22,73,407	--
	80,29,00,000	89,52,68,859	4711- Capital Outlay on Flood Control Projects-	--	9,23,68,859

Against the Grants/Appropriation of Rs. 522,71,00,000/- an expenditure of Rs. 797,93,73,407/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2012-13 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 275,22,73,407/- under the Demand No. 24-Irrigation on Capital 'Voted' Side.

2. Against the Grants/ Appropriation of Rs. 80,29,00,000/- an expenditure of Rs. 89,52,68,859/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2012-13 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 9,23,68,859/- under the Demand No. 24-Irrigation on Capital 'Charged' Side.

3. An excess expenditure was mainly due to adjustment of pro-rata charges of establishment expenditure worked out by Accountant General, Haryana and due to wrong booking of expenditure at the level of the Principal Accountant General, Haryana. After the introduction of online budget management system, the excess expenditure under any head is not possible.

4. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 275,22,73,407/- as shown in accounts.

5. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Charged' excess expenditure of Rs. 9,23,68,859/- as shown in accounts

Demand No. 38 - Public Health and Water Supply

Voted: Rs. 12,93,67,512/-

Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
38- Public Health & Water Supply	1086,54,00,000	1099,47,67,512	2215-Water Supply & Sanitation	12,93,67,512	-

Against the Grants/Appropriation of 1086,54,00,000/-, an expenditure of Rs. 1099,47,67,512/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2012-13 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 12,93,67,512/- under the Demand No. 38-Public Health and Water Supply on Revenue 'Voted' side.

2. An excess expenditure was mainly due to increase in number of tube wells, water works, boosters etc. and installation/handed over to Panchayats, release of pending payment of energy to HVPN.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Voted' excess expenditure of Rs. 12,93,67,512/- as shown in accounts.

EXCESS DEMAND OVER
Grants and Appropriations for the year
2013-14

Demand No. 6- Finance
Voted: Rs. 110,37,81,539/-
Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
6- Finance	4109,95,31,000	4220,33,12,539	2049- Interest Payments 2054-Treasury & Accounts Administration 2071- Pensions & other Retirement Benefits	110,37,81,539	-

Against the Grants/Appropriation of Rs. 4109,95,31,000/- an expenditure of Rs. 4220,33,12,539/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2013-14 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 110,37,81,539/- under the Demand No. 6-Finance on Revenue 'Voted' side.

2. An excess expenditure is attributed to meet the excess expenditure due to receipt of more pension cases/ commuted value of pension/gratuity/retirals benefits.

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Voted' excess expenditure of Rs. 110,37,81,539/- as shown in accounts.

Demand No. 24 - Irrigation**Voted: Rs. 213,26,30,784/-****Charged: Rs. 6,03,38,570/-**

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
24-Irrigation	639,00,00,000	852,26,30,784	4700-Capital Outlay on Major Irrigation	213,26,30,784	--
			4701- Capital Outlay on Medium Irrigation		
	50,00,00,000	56,03,38,570	4711- Capital Outlay on Flood Control Projects	--	6,03,38,570

Against the Grants/Appropriation of Rs. 639,00,00,000/- an expenditure of Rs. 852,26,30,784/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2013-14 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 213,26,30,784/- under the Demand No. 24-Irrigation on Capital 'Voted' Side.

2. Against the Grants/ Appropriation of Rs. 50,00,00,000/- an expenditure of Rs. 56,03,38,570/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2013-14 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 6,03,38,570/- under the Demand No. 24-Irrigation on Capital 'Charged' Side.

3. An excess expenditure was mainly due to the adjustment of pro-rata charges of establishment expenditure worked out by Accountant General, Haryana and due to wrong booking of expenditure at the level of the Principal Accountant General, Haryana. After the introduction of online budget management system, the excess expenditure under any head is not possible.

4. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 213,26,30,784/- as shown in accounts.

5. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Charged' excess expenditure of Rs. 6,03,38,570/- as shown in accounts.

EXCESS DEMAND OVER
Grants and Appropriations for the year
2014-15

Demand No. 24 - Irrigation

Voted: Rs. 402,89,46,351/-

Charged: Rs. 2,19,37,661/-

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
24-Irrigation	510,24,00,000	913,13,46,351	4700-Capital Outlay on Medium Irrigation 4701- Capital Outlay on Major Irrigation	402,89,46,351	--
	50,00,00,000	52,19,37,661	4711- Capital Outlay on Flood Control Projects	--	2,19,37,661

Against the Grants/Appropriation of Rs. 510,24,00,000/- an expenditure of Rs. 913,13,46,351/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2014-15 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 402,89,46,351/- under the Demand No. 24-Irrigation on Capital 'Voted' Side.

2. Against the Grants/ Appropriation of Rs. 50,00,00,000/- an expenditure of Rs. 52,19,37,661/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2013-14 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 2,19,37,661/- under the Demand No. 24-Irrigation on Capital 'Charged' Side.

3. An excess expenditure was mainly due to the adjustment of pro-rata charges of establishment expenditure and due to wrong booking of expenditure at the level of the Principal Accountant General, Haryana. After the introduction of online budget management system, the excess expenditure under any head is not possible.

4. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 402,89,46,351/- as shown in accounts.

5. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Charged' excess expenditure of Rs. 2,19,37,661/- as shown in accounts.

Demand No. 42 - Administration of Justice

Charged: Rs. 1,15,63,420/-

Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
42- Administration of Justice	90,20,14,000	91,35,77,420	2014- Administration of Justice	-	1,15,63,420

Against the Grants/Appropriation of Rs. 90,20,14,000/- an expenditure of Rs. 91,35,77,420/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2014-15 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 1,15,63,420/- under the Demand No. 42-Administration of Justice on Revenue 'Charged' side.

2. An excess expenditure is attributed to change in ratio of expenditure to be borne by the State of Haryana calculated on the basis of actual number of cases instituted during the year in Hon'ble Punjab & Haryana High Court which is initially provided by the Govt. of India through the Chandigarh Administration and thereafter recovered from the respective State/UT Governments of Punjab, Haryana and UT Chandigarh on the basis of the ratio of instituting the cases from the respective State/UT Governments.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Charged' excess expenditure of Rs. 1,15,63,420/- as shown in accounts.

Demand No. 44 - Printing & Stationery

Charged: Rs. 11,07,935/-

Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
44- Printing & Stationery	90,00,000	1,01,07,935	2058-Stationery & Printing	-	11,07,935

Against the Grants/Appropriation of Rs. 90,00,000/- an expenditure of Rs. 1,01,07,935/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2014-15 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 11,07,935/- under the Demand No. 44- Printing & Stationery on Revenue 'Charged' side.

2. An excess expenditure was mainly due to meet the expenditure of the tentative 42.91% share of the State Government that is on the basis of the ratio calculated on the actual number of cases instituted during 2014-15 in the Hon'ble Punjab & Haryana High Court under grant No.44 - Printing & Stationery.

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Charged' excess expenditure of Rs. 11,07,935/- as shown in accounts.

EXCESS DEMAND OVER
Grants and Appropriations for the year
2015-16

Demand No. 4 - Revenue

Voted: Rs. 1199,24,88,219/-

Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
4- Revenue	1413,69,38,000	2612,94,26,219	2245-Relief on Account of Natural Calamities	1199,24,88,219	-

Against the Grants/Appropriation of Rs. 1413,69,38,000/- an expenditure of Rs. 2612,94,26,219/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2015-16 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 1199,24,88,219/- under the Demand No. 4 –Revenue on Revenue ‘Voted’ side.

2. An excess expenditure was to meet the excess expenditure due to the payment of more compensation to the farmers whose crops were damaged due to hail storms, pest attack and heavy rains as per norms fixed by the State Govt. which were higher than that of Govt. of India on account of natural calamities and Jat agitation in many districts of the State during the year 2015-16.

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue ‘Voted’ excess expenditure of Rs. 1199,24,88,219/- as shown in accounts.

Demand No. 24 - Irrigation

Voted: Rs. 210,99,94,493/-

Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
24- Irrigation	600,20,00,000	811,19,94,493	4700-Capital Outlay on Major Irrigation 4701- Capital Outlay on Medium Irrigation 4711- Capital Outlay on Flood Control Projects	210,99,94,493	-

Against the Grants/Appropriation of Rs. 600,20,00,000/- an expenditure of Rs. 811,19,94,493/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2015-16 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 210,99,94,493/- under the Demand No. 24-Irrigation on Capital 'Voted' side.

2. An excess expenditure was mainly due to adjustment of pro-rata charges of establishment expenditure.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 210,99,94,493/- as shown in accounts.

Demand No. 32 - Rural & Community Development

Charged: Rs. 1,01,75,214/-

Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
32- Rural and Community Development	10,00,000	1,11,75,214	2515-Other Rural Development Programmes	-	1,01,75,214

Against the Grants/Appropriation of Rs. 10,00,000/- an expenditure of Rs. 1,11,75,214/- crore was booked by Accountant General, Haryana during the year 2015-16 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 1,01,75,214/- under the Demand No. 32 - Rural & Community Development on Revenue 'Charged' side. An excess expenditure is attributed to payment to the Attorney General as court cases fee in the Hon'ble Supreme Court of India.

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Charged' excess expenditure of Rs. 1,01,75,214/- as shown in accounts.

Demand No. 42 - Administration of Justice

Charged: Rs. 2,97,25,891/-

Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
42- Administration of Justice	103,15,42,000	106,12,67,891	2014- Administration of Justice	-	2,97,25,891

Against the Grants/Appropriation of Rs. 103,15,42,000/- an expenditure of Rs. 106,12,67,891/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2015-16 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 2,97,25,891/- under the Demand No. 42 -Administration of Justice on Revenue 'Charged' side.

2. An excess expenditure is attributed to change in ratio of expenditure to be borne by the State of Haryana calculated on the basis of actual number of cases instituted during the year in Hon'ble Punjab & Haryana High Court.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Charged' excess expenditure of Rs. 2,97,25,891/- as shown in accounts.

EXCESS DEMAND OVER
Grants and Appropriations for the year
2016-17

Demand No. 06 - Finance

Charged: Rs. 71,27,08,926/-

Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
6-Finance	10510,03,74,263	10581,30,83,189	2049-Interest Payments	-	71,27,08,926

Against the Grants/Appropriation of Rs. 10510,03,74,263/- an expenditure of Rs. 10581,30,83,189/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2016-17 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 71,27,08,926/- under the Demand No. 6 –Finance on Revenue ‘Charged’ side.

2. An excess expenditure was due to more interest payment on Ujwal DISCOM Assurance Yojana (**UDAY**) Bonds, National Small Saving Funds, Market Loans, Externally Aided Projects (EAPs) loan and contribution to Guarantee Redemption fund etc.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue ‘Charged’ excess expenditure of Rs. 71,27,08,926/- as shown in accounts.

Demand No. 08 - Building and Roads

Charged: Rs. 1,98,16,000/-

Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
08- Building & Roads	33,00,00,000	34,98,16,000	5054-Capital Outlay on Road & Bridges	-	1,98,16,000

Against the Grants/ Appropriation of Rs. 33,00,00,000/- an expenditure of Rs. 34,98,16,000/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2016-17 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 1,98,16,000/- under the Demand No. 08 -Building and Roads on Capital 'Charged' side. An excess expenditure is attributed to declaration of higher awards announced by Hon'ble Courts as well as decision of arbitration cases.

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Charged' excess expenditure of Rs. 1,98,16,000/- as shown in accounts.

Demand No. 14 - Urban Development

Voted: Rs. 91,73,870/-

Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
14- Urban Development	NIL	91,73,870	4217-Capital Outlay on Urban Development	91,73,870	-

Against the Nil Grants/Appropriation an expenditure of 91,73,870/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2016-17 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 91,73,870/- crore under the Demand No. 14-Urban Development on Capital 'Voted' side. An excess expenditure is attributed to stimulus package given to Irrigation Department.

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 91,73,870/- as shown in accounts.

Demand No. 24 - Irrigation

Voted: Rs. 176,99,17,561/-

Charged: Rs. 5,81,91,333/-

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
24-Irrigation	655,50,00,000	832,49,17,561	4701-Capital Outlay on Medium Irrigation	176,99,17,561	--
	88,00,00,000	93,81,91,333		--	5,81,91,333

Against the Grants/Appropriation of Rs. 655,50,00,000/- an expenditure of Rs. 832,49,17,561/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2016-17 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 176,99,17,561/- under the Demand No. 24 -Irrigation on Capital 'Voted' side.

2. Against the Grants/ Appropriation of Rs. 88,00,00,000/- an expenditure of Rs. 93,81,91,333/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2016-17 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 5,81,91,333/- under the Demand No. 24 - Irrigation on Capital 'Charged' Side.

3. An excess expenditure was mainly due to booking on pro-rata basis of revenue/establishment expenditure towards capital side by the Principal Accountant General, Haryana which was unavoidable under grant No.24-Irrigation [Capital (Voted)]; inclusion of actual expenditure of income tax deducted from the beneficiaries by field offices in the PAG, Haryana but the expenditure booked by the department is as per actual online expenditure under grant No.24 - Irrigation [Capital (Charged)]

4. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 176,99,17,561/- as shown in accounts.

5. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Charged' excess expenditure of Rs. 5,81,91,333/- as shown in accounts.

EXCESS DEMAND OVER
Grants and Appropriations for the year
2017-18

Demand No. 6 - Finance**Voted: Rs. 375,59,93,011/-****Charged: Rs. 73,87,65,227/-**

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
6-Finance	84,72,74,09,000	88,48,34,02,011	2049-interest Payments,	375,59,93,011	--
	11901,56,63,452	11975,44,28,679	2071-Pensions & Other Retirement Benefits	--	73,87,65,227

Against the Grants/ Appropriation of Rs. 84,72,74,09,000/- an expenditure of Rs. 88,48,34,02,011/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2017-18 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 375,59,93,011/- under the Demand No. 6 -Finance on Revenue 'Voted' Side.

2. Against the Grants/Appropriation of Rs. 11901,56,63,452/- an expenditure of Rs. 11975,44,28,679 was booked by Accountant General, Haryana during the year 2017-18 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 73,87,65,227/- under the Demand No. 6 -Finance on Revenue 'Charged' Side.

3. An excess expenditure was due to payment of more interest on AIS, interest on deposits towards land acquired by National Highway Authority of India, interest on deposits towards land acquired by Ministry of Railways, interest on delayed payment of pensionary benefits etc. and interest on State Provident Fund and due to receipt of more cases of pensions to Legislators and Government contribution for defined pension scheme, superannuation & retirement allowances, gratuities, family pensions under grant No.6 - Finance [Revenue (Charged & Voted)].

4. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Voted' excess expenditure of Rs. 375,59,93,011/- as shown in accounts.

5. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Charged' excess expenditure of Rs. 73,87,65,227/- as shown in accounts.

Demand No. 24 - Irrigation

Voted: Rs. 91,12,11,135/-

Charged: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
24-Irrigation	824,82,00,000	915,94,11,135	4700-Capital Outlay on Major Irrigation 4701- Capital Outlay on Medium Irrigation 4711- Capital Outlay on Flood Control Projects	91,12,11,135	-

Against the Grants/Appropriation of Rs. 824,82,00,000/- an expenditure of Rs. 915,94,11,135/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2017-18 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 91,12,11,135/- under the Demand No. 24 -Irrigation on Capital 'Voted' side.

2. An excess expenditure was attributed to meet the excess expenditure due to booking on pro-rata basis of establishment expenditure towards capital side by the Principal Accountant General, Haryana which was unavoidable and the main reason behind the pro-rata booking of establishment expenditure is that Irrigation & Water Resources Department has been declared as Commercial Department and as per PAG manual for Commercial Departments, establishment expenditure has to be booked on capital works proportionately.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Voted' excess expenditure of Rs. 91,12,11,135/- as shown in accounts.

EXCESS DEMAND OVER
Grants and Appropriations for the year
2018-19

Demand No. 08 - Building and Roads

Charged: Rs. 18,36,61,000/-

Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
08-Building & Roads	40,00,00,000	58,36,61,000	5054-Capital Outlay on Roads & Bridges	-	18,36,61,000

Against the Grants/Appropriation of Rs. 40,00,00,000/- an expenditure of Rs. 58,36,61,000/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2016-17 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 18,36,61,000/- under the Demand No. 08-Building and Roads on Capital 'Charged' side. An excess expenditure is attributed to declaration of higher awards announced by Hon'ble Courts as well as decision of arbitration cases.

2. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Charged' excess expenditure of Rs. 18,36,61,000/- as shown in accounts.

Demand No. 24 - Irrigation

Charged: Rs. 10,21,27,670/-

Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
24-Irrigation	70,00,00,000	80,21,27,670	4701-Capital Outlay on Medium Irrigation	-	10,21,27,670

Against the Grants/Appropriation of Rs. 70,00,00,000/- an expenditure of Rs. 80,21,27,670/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2018-19 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 10,21,27,670 under the Demand No. 24 -Irrigation on Capital 'Charged' side.

2. An excess expenditure was attributed to meet the excess expenditure for payment of enhanced land compensation as per decision of various Hon'ble Courts and due to additional expenditure of Income Tax deducted from beneficiaries booked in the office of Principal Accountant General, Haryana but not considered in the online expenditure.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Capital 'Charged' excess expenditure of Rs. 10,21,27,670/- as shown in accounts.

Demand No. 42 - Administration of Justice

Charged: Rs. 12,95,96,001/-

Voted: Rs.

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
42- Administration of Justice	132,84,68,000	145,80,64,001	2014- Administration of Justice	-	12,95,96,001

Against the Grants/Appropriation of Rs. 132,84,68,000/- an expenditure of Rs. 145,80,64,001/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2018-19 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 12,95,96,001/- under the Demand No. 42 -Administration of Justice on Revenue 'Charged' side.

2. An excess expenditure is attributed to change in ratio of expenditure to be borne by the State of Haryana calculated on the basis of actual number of cases instituted during the year in Hon'ble Punjab & Haryana High Court.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Charged' excess expenditure of Rs. 12,95,96,001/- as shown in accounts.



वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16,
2016-17, 2017-18 तथा 2018-19

के

अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

(राज्यपाल के आदेशानुसार हरियाणा विधानसभा में यथाप्रस्तुत)

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में यह प्रावधान है कि यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के लिए प्रदान की गई राशि से अधिक धन खर्च किया गया है, तो राज्यपाल ऐसी अधिक राशि के लिए राज्य की विधान सभा में मांग प्रस्तुत करवाएंगे। वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग खातों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त रिपोर्ट हरियाणा विधानसभा के समक्ष रखी गई थी। इन खातों की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की गई और इन विनियोग खातों पर लोक लेखा समिति की 76वीं, 80वीं, 81वीं और 82वीं रिपोर्ट क्रमशः 15 मार्च, 2018, 04 मार्च, 2020, 15 मार्च, 2021 और 22 मार्च, 2022 को रखी गई।

समिति की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए स्वीकृत अनुदानों / प्रभारित विनियोगों से अधिक हुए खर्च को विनियमित करने हेतु राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(अनुराग रस्तोगी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

वर्ष 2011-12 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूंजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
1	17-रोजगार		49,99,000	49,99,000
2	24-सिंचाई	254,64,41,437	254,64,41,437
3	42-न्याय प्रशासन	8,30,29,163		8,30,29,163
कुल योग		8,30,29,163	255,14,40,437	263,44,69,600

वर्ष 2012-13 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूंजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
7	6-वित्त	126,52,84,230	126,52,84,230
8	21-महिला एवं बाल विकास	4,17,26,000	4,17,26,000
9	24-सिंचाई	275,22,73,407	9,23,68,859	284,46,42,266
10	38-जन स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	12,93,67,512	12,93,67,512
कुल योग		139,46,51,742	279,39,99,407	9,23,68,859	428,10,20,008

वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूंजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
13	6-वित्त	110,37,81,539	110,37,81,539
14	24-सिंचाई	213,26,30,784	6,03,38,570	219,29,69,354
कुल योग		110,37,81,539	213,26,30,784	6,03,38,570	329,67,50,893

वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूंजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
17	24-सिंचाई	402,89,46,351	2,19,37,661	405,08,84,012
18	42-न्याय प्रशासन	1,15,63,420	1,15,63,420
19	44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	11,07,935	11,07,935
कुल योग		12,671,355	402,89,46,351	2,19,37,661	406,35,55,367

वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूँजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
23	4-राजस्व	1199,24,88,219	1199,24,88,219
24	24-सिंचाई	210,99,94,493	210,99,94,493
25	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	1,01,75,214	1,01,75,214
26	42-न्याय प्रशासन	2,97,25,891	2,97,25,891
कुल योग		1199,24,88,219	3,99,01,105	210,99,94,493	1414,23,83,817

वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूँजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
29	6-वित्त	71,27,08,926	71,27,08,926
30	08-भवन एवं सड़कें	1,98,16,000	1,98,16,000
31	14-शहरी विकास	91,73,870	91,73,870
32	24-सिंचाई	176,99,17,561	5,81,91,333	182,81,08,894
कुल योग		71,27,08,926	177,90,91,431	7,80,07,333	256,98,07,690

वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूँजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
35	6-वित्त	375,59,93,011	73,87,65,227	449,47,58,238
36	24-सिंचाई	91,12,11,135	91,12,11,135
कुल योग		375,59,93,011	73,87,65,227	91,12,11,135	540,59,69,373

वर्ष 2018-19 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूँजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
39	8-भवन एवं सड़कें	18,36,61,000	18,36,61,000
40	24-सिंचाई	10,21,27,670	10,21,27,670
41	42-न्याय प्रशासन	12,95,96,001	12,95,96,001
कुल योग		12,95,96,001	28,57,88,670	41,53,84,671

वर्ष 2011–12

के

अनुदानों एवं विनियोगों से

अधिक माँगें

मांग संख्या 17 - रोजगार
स्वीकृत : 49,99,000/- रुपये
प्रभारित : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
17-रोजगार	1,000	50,00,000	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	49,99,000

वित्तिय वर्ष 2011-12 के दौरान 1,000/- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 50,00,000/- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 17-रोजगार के तहत 49,99,000/- रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद में हुआ।

- यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से पंचकूला में रोजगार भवन के निर्माण हेतु आबंटित भूखंड के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को किए गए भुगतान के कारण हुआ।
- इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 49,99,000/- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 24 – सिंचाई
स्वीकृत : 254,64,41,437 /- रुपये
प्रभारित : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
24-सिंचाई	568,50,00,000	823,14,41,437	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	254,64,41,437

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 568,50,00,000/- रुपये के अनुदानों/ विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 823,14,41,437/- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 254,64,41,437/- रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद में हुआ। यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से महालेखाकार, हरियाणा द्वारा स्थापना व्यय के यथा-अनुपात शुल्क के समायोजन के कारण हुआ।

2. इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 254,64,41,437/- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 42 – न्याय प्रशासन
 प्रभारित : 8,30,29,163 /– रुपये
 स्वीकृत : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
42-न्याय प्रशासन	42,63,31,000	50,93,60,163	2014-न्याय प्रशासन	8,30,29,163

वित्तिय वर्ष 2011-12 के दौरान 42,63,31,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 50,93,60,163 /– रुपये व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 42-न्याय प्रशासन के तहत 8,30,29,163 /– रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय राजस्व (प्रभारित) मद में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय हरियाणा राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय के अनुपात में परिवर्तन के कारण हुआ जिसकी गणना माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में उस वर्ष के दौरान दायर मामलों की वास्तविक संख्या के आधार पर की गई।

3. इसलिए राजस्व प्रभारित 8,30,29,163 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

वर्ष 2012–13
के
अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 6 – वित्त
स्वीकृत : 126,52,84,230 / – रुपये
प्रभारित : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
6-वित्त	3551,81,98,000	3678,34,82,230	2049- ब्याज अदायगियां 2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	126,52,84,230

वित्तिय वर्ष 2012-13 के दौरान 3551,81,98,000 / – रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 3678,34,82,230 / – रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 6-वित्त के तहत 126,52,84,230 / – रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (स्वीकृत) मद् में हुआ। यह अतिरिक्त व्यय अधिक पेंशन मामलों की प्राप्ति/पेंशन/ग्रेच्युटी/सेवानिवृत्ति लाभों इत्यादि के परिवर्तित मूल्य के कारण अधिक व्यय को पूरा करने के लिए था।

2. इसलिए स्वीकृत राजस्व 126,52,84,230 / – रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 21 – महिला एवं बाल विकास
स्वीकृत : 4,17,26,000 /- रुपये
प्रभारित : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
21- महिला एवं बाल विकास	53,82,01,000	57,99,27,000	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4,17,26,000

वित्तिय वर्ष 2012-13 के दौरान 53,82,01,000 /- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 57,99,27,000 /- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 21- महिला एवं बाल विकास के तहत 4,17,26,000 /- रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से अधूरे आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और उन्हें पूरा करने के लिए पंचायती राज विभाग को जारी धनराशि में वृद्धि करने के कारण हुआ।

3. इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 4,17,26,000 /- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 24 – सिंचाई
स्वीकृत : 275,22,73,407 /– रुपये
प्रभारित : 9,23,68,859 /– रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
24-सिंचाई	522,71,00,000	797,93,73,407	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	275,22,73,407
	80,29,00,000	89,52,68,859	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9,23,68,859

वित्तिय वर्ष 2012-13 के दौरान 522,71,00,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 797,93,73,407 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत पूंजीगत (स्वीकृत) पर 275,22,73,407 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद में हुआ।

2. वित्तिय वर्ष 2012-13 के दौरान 80,29,00,000 /–रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 89,52,68,859 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत पूंजीगत (प्रभारित) पर 9,23,68,859 रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (प्रभारित) मद में हुआ।

3. यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से महालेखाकार, हरियाणा द्वारा परिकलित स्थापना व्यय के यथा-अनुपात शुल्क के समायोजन और प्रधान महालेखाकार, हरियाणा के स्तर पर व्यय को गलत दर्ज करने के कारण था, क्योंकि राजकोष की ऑनलाइन बजट प्रणाली के कारण बजट को एक उप-शीर्ष से दूसरे उप-शीर्ष में परिवर्तित करना संभव नहीं था।

4. इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 275,22,73,407 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

5. इसलिए प्रभारित पूंजीगत 9,23,68,859 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 38 – जन स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति
स्वीकृत : 12,93,67,512/- रुपये
प्रभारित : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
38-जन स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति	1086,54,00,000	1099,47,67,512	2215-जल आपूर्ति एवं सफाई	12,93,67,512

वित्तिय वर्ष 2012-13 के दौरान 1086,54,00,000/- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 1099,47,67,512/- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 38-जन स्वास्थ्य तथा जलापूर्ति के तहत 12,93,67,512/- रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (स्वीकृत) मद में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से ट्यूबवैल, जलघरों, बूस्टर आदि की संख्या में वृद्धि और स्थापना/पंचायतों को सौंपने, एच.वी.पी.एन. को बिजली के लंबित भुगतान जारी करने के कारण हुआ।

3. इसलिए स्वीकृत राजस्व 12,93,67,512/- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

वर्ष 2013–14
के
अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 6 – वित्त
स्वीकृत : 110,37,81,539 /– रुपये
प्रभारित : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
6-वित्त	4109,95,31,000	4220,33,12,539	2049- ब्याज अदायगियां 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन 2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	110,37,81,539

वित्तिय वर्ष 2013-14 के दौरान 4109,95,31,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 4220,33,12,539 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 6-वित्त के तहत 110,37,81,539 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (स्वीकृत) मद् में हुआ।

- यह अतिरिक्त व्यय अधिक पेंशन मामलों की प्राप्ति/ पेंशन/ग्रेच्युटी/सेवानिवृत्ति लाभों इत्यादि के परिवर्तित मूल्य के कारण अधिक व्यय को पूरा करने के लिए था।
- इसलिए स्वीकृत राजस्व 110,37,81,539 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 24 – सिंचाई
स्वीकृत : 213,26,30,784 /- रुपये
प्रभारित : 6,03,38,570 /- रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
24- सिंचाई	639,00,00,000	852,26,30,784	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	213,26,30,784	-
	50,00,00,000	56,03,38,570	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	6,03,38,570

वित्तिय वर्ष 2013-14 के दौरान 639,00,00,000/- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 852,26,30,784/- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 213,26,30,784/- रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद में हुआ।

2. वित्तिय वर्ष 2013-14 के दौरान 50,00,00,000/- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 56,03,38,570/- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 6,03,38,570/- रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (प्रभारित) मद में हुआ।

3. यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से महालेखाकार, हरियाणा द्वारा परिकलित स्थापना व्यय के यथा-अनुपात शुल्क के समायोजन और प्रधान महालेखाकार, हरियाणा के स्तर पर व्यय को गलत दर्ज करने के कारण था, क्योंकि ऑनलाइन बजट प्रणाली शुरू होने के कारण किसी भी शीर्ष के तहत अधिक व्यय संभव नहीं था।

4. इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 213,26,30,784/- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

5. इसलिए प्रभारित पूंजीगत 6,03,38,570/- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

वर्ष 2014–15
के
अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 24 – सिंचाई
स्वीकृत : 402,89,46,351 /– रुपये
प्रभारित : 2,19,37,661 /– रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
24- सिंचाई	510,24,00,000	913,13,46,351	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	402,89,46,351	—
	50,00,00,000	52,19,37,661	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	—	2,19,37,661

वित्तिय वर्ष 2014-15 के दौरान 510,24,00,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 913,13,46,351 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 402,89,46,351 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद में हुआ।

2. वित्तिय वर्ष 2014-15 के दौरान 50,00,00,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 52,19,37,661 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 2,19,37,661 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (प्रभारित) मद में हुआ।

3. यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से महालेखाकार, हरियाणा द्वारा परिकलित स्थापना व्यय के यथा-अनुपात शुल्क के समायोजन और प्रधान महालेखाकार, हरियाणा के स्तर पर व्यय को गलत दर्ज करने के कारण था, क्योंकि ऑनलाइन बजट प्रणाली शुरू होने के बाद किसी भी शीर्ष के तहत अधिक व्यय संभव नहीं था।

4. इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 402,89,46,351 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

5. इसलिए प्रभारित पूंजीगत 2,19,37,661 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 42 – न्याय प्रशासन
 प्रभारित : 1,15,63,420 /- रुपये
 स्वीकृत : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
42-न्याय प्रशासन	90,20,14,000	91,35,77,420	2014-न्याय प्रशासन	1,15,63,420

वित्तिय वर्ष 2014-15 के दौरान 90,20,14,000/- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 91,35,77,420/- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 42-न्याय प्रशासन के तहत 1,15,63,420/- रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय राजस्व (प्रभारित) मद् में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय हरियाणा राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय के अनुपात में परिवर्तन के कारण हुआ जिसकी गणना माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में उस वर्ष के दौरान दायर मामलों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाती है, जोकि शुरू में भारत सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है और उसके बाद सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित राज्य की सरकारों से दायर मामलों के अनुपात के आधार पर सम्बन्धित राज्य/केन्द्र शासित राज्य की सरकारों अर्थात् पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से वसूल किया जाता है।

3. इसलिए राजस्व प्रभारित 1,15,63,420/- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 44 – मुद्रण एवं लेखन सामग्री
 प्रभारित : 11,07,935 /– रुपये
 स्वीकृत : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	90,00,000	1,01,07,935	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	11,07,935

वित्तिय वर्ष 2014-15 के दौरान 90,00,000 /– रुपये की अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 1,01,07,935 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री के तहत 11,07,935 /– रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय राजस्व (प्रभारित) मद् में हुआ।

- यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से राज्य सरकार के अंतरिम 42.91 प्रतिशत हिस्से के व्यय को पूरा करने के कारण था, जोकि वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री के तहत माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर मामलों की वास्तविक संख्या पर परिकल्पित अनुपात के आधार पर है।
- इसलिए राजस्व प्रभारित 11,07,935 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

वर्ष 2015–16
के
अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 4 – राजस्व
स्वीकृत : 1199,24,88,219 /– रुपये
प्रभारित : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
4-राजस्व	1413,69,38,000	2612,94,26,219	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1199,24,88,219

वित्तिय वर्ष 2015-16 के दौरान 1413,69,38,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 2612,94,26,219 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 4-राजस्व के तहत 1199,24,88,219 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (स्वीकृत) मद् में हुआ।

2. वित्तिय वर्ष 2015-16 के दौरान यह अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित मानदंडों, जोकि भारत सरकार से अधिक थे, पर ओलावृष्टि, कीट हमले और भारी वर्षा के कारण फसलें क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को दिए गए अधिक मुआवजे तथा राज्य के कई जिलों में जाट आरक्षण के कारण हुए अधिक व्यय को पूरा करने के लिए था।

3. इसलिए स्वीकृत राजस्व 1199,24,88,219 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 24 – सिंचाई
स्वीकृत : 210,99,94,493 /– रुपये
प्रभारित :रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
24-सिंचाई	600,20,00,000	811,19,94,493	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	210,99,94,493

वित्तिय वर्ष 2015-16 के दौरान 600,20,00,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 811,19,94,493 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 210,99,94,493 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से स्थापना व्यय के यथा-अनुपात शुल्क के समायोजन, अनुपूरक बजट के देरी से आबंटन और उस वित्त वर्ष के अंतिम दिनों में खजाना द्वारा बिलों की स्वीकृति न देने के कारण हुआ।

3. इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 210,99,94,493 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 32 – ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास
 प्रभारित : 1,01,75,214 /– रुपये
 स्वीकृत पूंजी :रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	10,00,000	1,11,75,214	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,01,75,214

वित्तिय वर्ष 2015-16 के दौरान 10,00,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 1,11,75,214 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के तहत 1,01,75,214 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (प्रभारित) मद् में हुआ। यह अतिरिक्त व्यय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट केस फीस के रूप में महान्यायवादी को भुगतान के कारण हुआ।

2. इसलिए प्रभारित राजस्व 1,01,75,214 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 42 – न्याय प्रशासन
 प्रभारित : 2,97,25,891 /– रुपये
 स्वीकृत :रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
42-न्याय प्रशासन	103,15,42,000	106,12,67,891	2014-न्याय प्रशासन	2,97,25,891

वित्तिय वर्ष 2015-16 के दौरान 103,15,42,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 106,12,67,891 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 42-न्याय प्रशासन के तहत 2,97,25,891 /– रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय राजस्व (प्रभारित) मद् में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय हरियाणा राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय के अनुपात में परिवर्तन के कारण हुआ जिसकी गणना माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में उस वर्ष के दौरान दायर मामलों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाती है।

3. इसलिए राजस्व प्रभारित 2,97,25,891 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

वर्ष 2016–17
के
अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 6 – वित्त
स्वीकृत : रुपये
प्रभारित : 71,27,08,926 /– रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
6-वित्त	10510,03,74,263	10581,30,83,189	2049- ब्याज अदायगियां	71,27,08,926

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 10510,03,74,263 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 10581,30,83,189 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 6-वित्त के तहत 71,27,08,926 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (प्रभारित) मद में हुआ।

- यह अतिरिक्त व्यय उदय बॉन्ड्स, राष्ट्रीय लघु बचत निधि, बाजार ऋण, ईएपीएस ऋण और गारंटी मोचन निधि में योगदान आदि पर अधिक ब्याज भुगतान के कारण हुआ।
- इसलिए प्रभारित राजस्व 71,27,08,926 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 08 – भवन एवं सड़कें
 प्रभारित : 1,98,16,000/- रुपये
 स्वीकृत : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
08-भवन एवं सड़कें	33,00,00,000	34,98,16,000	5054-सड़क एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,98,16,000

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 33,00,00,000/- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 34,98,16,000/- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 08-भवन एवं सड़कें के तहत 1,98,16,000/- रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (प्रभारित) मद में हुआ। यह अतिरिक्त व्यय माननीय न्यायालयों द्वारा घोषित उच्च राशि की घोषणा के साथ-साथ पंचाट मामलों के निर्णय के कारण हुआ।

2. इसलिए प्रभारित पूंजीगत 1,98,16,000/- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 14 – शहरी विकास
स्वीकृत : 91,73,870 /– रुपये
प्रभारित : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
14-शहरी विकास	91,73,870	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	91,73,870

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शून्य अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 91,73,870 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 14-शहरी विकास के तहत 91,73,870 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद् में हुआ। यह अतिरिक्त व्यय सिंचाई विभाग को दिए गए प्रोत्साहन पैकेज के कारण हुआ।

2. इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 91,73,870 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 24 – सिंचाई
स्वीकृत : 1,76,99,17,561 /– रुपये
प्रभारित : 5,81,91,333 /– रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
24-सिंचाई	655,50,00,000	832,49,17,561	4701- मध्यम सिंचाई पर	176,99,17,561	–
	88,00,00,000	93,81,91,333	पूंजीगत परिव्यय	–	5,81,91,333

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 655,50,00,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 832,49,17,561 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 176,99,17,561 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद में हुआ।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 88,00,00,000 /– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 93,81,91,333 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 5,81,91,333 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (प्रभारित) मद में हुआ।

3. यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से प्रधान महालेखाकार, हरियाणा द्वारा पूंजीगत पक्ष की ओर राजस्व/स्थापना व्यय, जोकि अनुदान संख्या 24-सिंचाई (स्वीकृत-पूंजीगत) के तहत अपरिहार्य था, को यथा-अनुपात आधार पर दर्ज करने, महालेखाकार, हरियाणा में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लाभार्थियों से काटे गए आयकर के वास्तविक व्यय को शामिल करने के कारण हुआ परन्तु विभाग द्वारा दर्ज व्यय अनुदान संख्या 24- सिंचाई (पूंजीगत-प्रभारित) के तहत वास्तविक ऑनलाइन व्यय के अनुसार है।

4. इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 176,99,17,561 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

5. इसलिए प्रभारित पूंजीगत 5,81,91,333 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

वर्ष 2017–18
के
अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 6 – वित्त
 प्रभारित : 73,87,65,227 /– रुपये
 स्वीकृत : 3,75,59,93,011 /– रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
6-वित्त	8472,74,09,000	8848,34,02,011	2049- ब्याज अदायगियां	375,59,93,011	–
	11901,56,63,452	11975,44,28,679	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	–	73,87,65,227

वर्ष 2017-18 के दौरान 84,72,74,09,000 /–रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 88,48,34,02,011 /– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 6-वित्त के तहत 375,59,93,011 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (स्वीकृत) मद में हुआ।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 11901,56,63,452 /–रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 11975,44,28,679 /–रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 6-वित्त के तहत 73,87,65,227 /– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (प्रभारित) मद में हुआ।

3. यह अतिरिक्त व्यय अनुदान संख्या 6-वित्त (प्रभारित एवं स्वीकृत राजस्व) के तहत ए.आई. एस. पर अधिक ब्याज, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए जमा राशि पर ब्याज, रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए जमा राशि पर ब्याज, पेंशन लाभों आदि के लम्बित भुगतान पर ब्याज और राज्य भविष्य निधि पर ब्याज तथा विधायकों की पेंशन के अधिक मामले प्राप्त होने तथा परिभाषित पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्ते, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन के लिए सरकार के अंशदान के कारण हुआ।

4. इसलिए स्वीकृत राजस्व 375,59,93,011 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

5. इसलिए प्रभारित राजस्व 73,87,65,227 /– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 24 – सिंचाई

स्वीकृत : 91,12,11,135 / – रुपये

प्रभारित :रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
24-सिंचाई	824,82,00,000	915,94,11,135	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	91,12,11,135

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 824,82,00,000 / – रुपये के अनुदानों / विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 915,94,11,135 / – रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 91,12,11,135 / – रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (स्वीकृत) मद में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से प्रधान महालेखाकार, हरियाणा द्वारा पूंजी पक्ष की ओर स्थापना व्यय, जोकि अपरिहार्य था, को यथा-अनुपात आधार पर दर्ज करने के कारण हुआ और स्थापना व्यय को यथा-अनुपात आधार पर दर्ज करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को वाणिज्यिक विभाग घोषित किया गया है और वाणिज्यिक विभागों के लिए प्रधान महालेखाकार मैनुअल के अनुसार, स्थापना व्यय को पूंजीगत कार्यों पर यथा-अनुपात आधार पर दर्ज किया जाना है।

3. इसलिए स्वीकृत पूंजीगत 91,12,11,135 / – रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

वर्ष 2018–19
के
अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 08 – भवन एवं सड़कें
 प्रभारित : 18,36,61,000 /- रुपये
 स्वीकृत : रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
08-भवन एवं सड़कें	40,00,00,000 /-	58,36,61,000 /-	5054-सड़क एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18,36,61,000

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 40,00,00,000 /- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 58,36,61,000 /- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 08-भवन एवं सड़कें के तहत 18,36,61,000 /- रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (प्रभारित) मद में हुआ। यह अतिरिक्त व्यय माननीय न्यायालयों द्वारा घोषित उच्च राशि की घोषणा के साथ-साथ पंचाट मामलों के निर्णय के कारण हुआ।

2. इसलिए प्रभारित पूंजीगत 18,36,61,000 /- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 24 – सिंचाई
स्वीकृत : 10,21,27,670 /- रुपये
प्रभारित :रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
24-सिंचाई	70,00,00,000 /-	80,21,27,670 /-	4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10,21,27,670

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 70,00,00,000 /- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 80,21,27,670 /- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 24-सिंचाई के तहत 10,21,27,670 /- रुपये का अतिरिक्त व्यय पूंजीगत (प्रभारित) मद में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के अनुसार बढ़े हुए भूमि मुआवजे के भुगतान तथा प्रधान महालेखाकार, हरियाणा द्वारा दर्ज लाभार्थियों से काटे गए आयकर, जिसे ऑनलाइन व्यय में नहीं माना गया, के अतिरिक्त व्यय के कारण हुआ।

3. इसलिए प्रभारित पूंजीगत 10,21,27,670 /- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 42 - न्याय प्रशासन

प्रभारित : 12,95,96,001/- रुपये

स्वीकृत :रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
42-न्याय प्रशासन	132,84,68,000/-	145,80,64,001/-	2014- न्याय प्रशासन	12,95,96,001

वर्ष 2018-19 के दौरान 132,84,68,000/- रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 145,80,64,001/- रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 42-न्याय प्रशासन के तहत 12,95,96,001/- रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय राजस्व (प्रभारित) मद् में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय हरियाणा राज्य द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय के अनुपात में परिवर्तन के कारण हुआ जिसकी गणना माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में उस वर्ष के दौरान दायर मामलों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जाती है।

3. इसलिए राजस्व प्रभारित 12,95,96,001/- रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि खातों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।